संख्या: 1616 /XVII(4)/2018-5(24)2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक / उपाध्यक्ष,
राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई,
आई0सी0डी0एस0, निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 14 दिसम्बर, 2018

विषयः राज्य स्तरीय निर्भया प्रकोष्ठ की स्थापना एवं उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या–567 / 197 / यू0डब्लू0सी0डी0एस0 / 2018–19 दिनांक 30.10.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में महिलाओं के प्रति बढते अपराधों एवं किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपराध से निपटने के लिये प्रभावी कदम उठाने हेतु शासनादेश संख्या–1955/XVII(4)/2013/5(24)/13 दिनांक 04.10.2013 द्वारा जनपद स्तरीय **निर्भया योजना / प्रकोष्ठ** की स्थापना की गई है। उक्त शासनादेश द्वारा निर्भया योजना की स्थापना, मूल्यांकन, अनुश्रवण, प्रगति समीक्षा हेतु राज्य / जनपद स्तरीय समिति गठित की गई है। उक्त शासनादेश दिनांक 04.10.2013 के अनुक्रम में राज्य स्तरीय निर्भया प्रकोष्ठ की स्थापना एवं उसके कियान्वयन की निम्नानुसार श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(I) **राज्य स्तरीय निर्भया प्रकोष्ठ हेतु मानदेय के आधार पर कार्मिको की व्यवस्था :–**

क्र0 सं0	पद का नाम	पद सं0	अर्हता	दायित्व	मानदेय (₹ में)
1	वरिष्ठ महिला अधिवक्ता	01	1. अभ्यर्थी की आयु सीमा न्यूनतम 28 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 2. विधि में स्नातक / स्नातकोत्तर की उपाधि। 3. उत्तराखण्ड बार काउन्सलिंग का सदस्य। 4. फौजदारी मामलों में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव। 5. महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्धित विधि का ज्ञान। 6. राष्ट्रीय महिला आयोग में सम्बन्धित नियमों / अधिनियमों की जानकारी।	1. प्रकोष्ठ में प्राप्त महिला उत्पीड़न सम्बन्धी प्रकरणों पर कानूनी कार्यवाही करना एवं तथ्यों के आधार पर विधिक परामर्श देना। 2. माननीय सक्षम न्यायालय में पीड़ित महिला के तरफ से वाद दायर करना एवं प्रतिनिधित्व करना। 3. राज्य एवं जिला स्तरीय गठित अपराधिक दुर्घटना एवं पुनर्वास बोर्ड के सदस्यों को पीड़ित महिला की समस्याओं पर समय–समय पर विधिक सलाह देना एवं उनके विधिपूर्ण निराकरण के लिए सहायता प्रदान करना। 4. प्रकोष्ठ की ओर से अथवा प्रकोष्ठ के विरूद्ध दायर सभी प्रकार के वादों में प्रकोष्ठ की ओर से न्यायालय में पैरवी करना।	30,000.00 (प्रति माह)

				5. प्रत्येक माह के आधार पर प्रकरणों के निस्तारण अथवा सम्बन्धित कार्यवाही की सूचना प्रदान करना। 6. यथावश्यकतानुसार शासन/प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित दायित्व। 7. मा0 न्यायालय में विचाराधिन रेप केस की प्रगति का मूल्यांकन/अनुश्रवण करना। 8. संकलित सूचना/मन्तव्य राज्य स्तरीय निर्भया नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना। कार्य अवधि–सुबह 9:30 से 6 सांय तक।	
2	महिला एम0आई0 एस0/ कम्प्यूटर ऑपरेट	01	1.अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 28 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 2.समाजकार्य/समाजशास्त्र/ मनोविज्ञान विषय में स्नातक उपाधि। 3.कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्ष का एडवांस डिप्लोमा । 4.कार्य करने का 05 वर्ष का अनुभव।	1. प्रकोष्ठ के प्रकरणों पर विधिक कार्यवाही में सहयोग। 2. राज्य एवं जिला स्तरीय गठित अपराधिक दुर्घटना एवं पुनर्वासा बोर्ड के सदस्यों को समय–समय पर जानकारियाँ उपलब्ध कराना। 3. यथावश्यकतानुसार शासन/प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित दायित्व। 4. समस्त जनपदों में संचालित निर्भया प्रकोष्ठ के अनुश्रवण एवं समन्वयन करने के साथ मासिक आख्या प्रस्तुत करना। 5. पुलिस सहायता प्रकोष्ठ से समन्यवन कर बलात्कार सम्बन्धित प्रगति प्राप्त कर संकलित करना। 6. संकलित सूचना/मन्तव्य निर्भया नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना। कार्य अवधि–सुबह 9:30 से 6 सांय तक।	15,000.00 (प्रति माह)
3	महिला सपोर्ट स्टॉफ	01	1. कम से कम हाईस्कूल या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा परिषद/बोर्ड से हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। 2. उक्त पद को भरने के लिए पी0आर0डी0 अथवा आऊटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से रखा जा सकता है।	1. कार्यालय व्यवस्था। 2. समयानुसार कार्यालय खोलना एवं बन्द करना। 3. समय समय पर अन्य कार्य जो सौपें जाये। कार्य अवधि–सुबह 9:30 से 6 सांय तक।	10,000.00 (प्रति माह)